

NON ENCUMBRANCE CERTIFICATE

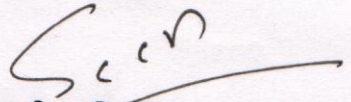
परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़)-नालीकलां मोटर मार्ग (लम्बाई 11.425 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़) गांव से सहस्त्रधारा (कार्लीगाड़)-नालीकलां मोटर मार्ग (लम्बाई 11.425 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु 9.194 हे० का दोगुना क्षेत्रफल 18.388 हे० अर्थात् 18.5 हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रत्यावर्तित करनी है, वन विभाग द्वारा 18.5 हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन द्वारा नाली बीट कक्ष सं०-1 में वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है एवं प्रस्तावित की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगतनीय है, कि चयन भूमि वन से आच्छादित नहीं है। उक्त भूमि इस प्रयोजन के अतिरिक्त किसी भी परियोजना हेतु आवंटित नहीं की गयी है एवं उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की नहीं है। उक्त भूमि में कोई मन्दिर, मस्जिद या अन्य कोई धार्मिक स्थल भवन, पनघट, शमशानघाट, ऐतिहासिक स्मारक, वन्य अभ्यारण एवं आदिवासी जनजाति का निवास स्थल नहीं है। चयनित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद अथवा कब्जा नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


सहायिक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी